नव भारत

वसंत पंचमी एवम् नवभारत स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

एक नजर में

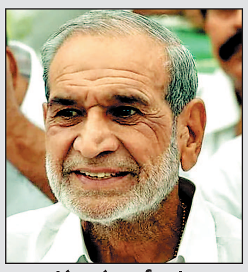

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी. यह मामला फरवरी 2015 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर से संबंधित था.

एमपी देश का पावर हब

सीएम डॉ. यादव ने बड़े उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ की बैठकें

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 22 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र में पिछले 2 वर्ष में जितनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है उसका सकारात्मक प्रभाव दावोस में दिखाई दिया है. दावोस में विभिन्न क्षेत्रों के बड़े उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा हुई हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विभिन्न इंटरशेनल कम्पनियों के साथ हुई बैठकों के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बदलाव के इस दौर में मध्यप्रदेश में सोलर एनर्जी, आईटी, टूरिज्म सहित सभी सेक्टर्स में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं. मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं. मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पावर हब बन चुका है. प्रदेश में पंप स्टोरेज, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है.

ओंकारेश्वर में बांध के पानी पर सोलर प्लेट बिछाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है. राज्य में 32 लाख किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप बांटे जा रहे हैं. इसी का परिणाम है कि देश में नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित सबसे सस्ती बिजली मध्यप्रदेश उपलब्ध करवा रहा है. प्रदेश के इस मॉडल को समझने और अध्ययन करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं.

मप्र में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत के आसपास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र में एग्रीकल्चर पॉल्ट्री के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं. भविष्य में इस दिशा में भी अन्य राज्यों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. मध्यप्रदेश के पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है. ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी हमारा राज्य, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण अनुकूल है. अब कई क्षेत्रों के निवेशक मध्यप्रदेश का रुख कर रहे हैं.

पूजा और नमाज एक साथ : सुको

- उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत निर्देश किए जारी
- भोजशाला 11वीं सदी का स्मारक है

नई दिल्ली, 22 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला, कमाल मौला परिसर में बसंत पंचमी पूजा और शुक्रवार की जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ गुरुवार को हिंदू पक्षकारों के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी. इसमें 23 जनवरी को पूरे दिन वसंत पंचमी की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति मांगी गई थी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से संरक्षित भोजशाला 11वीं सदी का स्मारक है. हिंदू इसे देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं. वर्ष 2003 की व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमान शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वसंत पंचमी की पूजा और हवन सूर्योदय से सूर्यास्त तक किए जाने का प्रस्ताव है. वहीं मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत को सूचित किया कि जुमा नमाज 1 से 3 बजे के बीच होती है.

बेटियां हर क्षेत्र में बना रही हैं नए रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 22 जनवरी (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि मोदी ने कहा कि जिस देश में पुत्रियों को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है, वहां आज से 11 वर्ष पहले इसी दिन 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान आरंभ किया था. उन्होंने बेटियों के महत्व पर आधारित शाश्वत भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कहा कि एक पुत्री दस पुत्रों के समान है और दस पुत्रों से प्राप्त पुण्य या सद्गुण एक पुत्री से भी प्राप्त किया जा सकता है. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई.

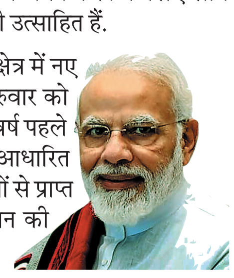

ईडी के दो केस में केजरीवाल बरी

नई दिल्ली, 22 जनवरी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दो केस में बड़ी जीत मिली है. ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर समन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और उन्होंने ईडी के केस को फर्जी बताते हुए समन को अवैध करार दिया था. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के इन दोनों केस में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया. कोर्ट से मिली इस बड़ी जीत पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्यमेव जयते. यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनाया. उन्होंने ईडी द्वारा दायर की गई दोनों शिकायतों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया.